विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 28 अगस्त, 2012

संख्याः वि0स0–लैज–गवर्नमैंट बिल/1–52/2012.——हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग साईंसिज एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 39) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

———————

2012 का विधेयक संख्यांक 39

बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह 16 अक्तूबर, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. **धारा 3 का संशोधन.**——बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नॉलोजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (ञ) के पश्चात, निम्नलिखित नया खण्ड (ट) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

''(ट) विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर क्रियाशील करना।''।

3. **धारा 41 का संशोधन.**——मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा(2) के परन्तुक में "विघटित कर देता है, तो" शब्दों और चिन्ह के पश्चात् किन्तु "विश्वविद्यालय की सभी परिसम्पत्तियाँ" शब्दों से पूर्व "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. धारा 42 का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (9) में "विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ और दायित्व प्रायोजक निकाय में निहित हो जाएंगे" शब्दों के स्थान पर "विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियाँ, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएंगी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान के समुचित स्तरमान को सुनिश्चित करने और राज्य में उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के आशय से, राज्य सरकार ने राज्य में अलग–अलग प्राइवेट विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियमित करके कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। तथापि, इन अधिनियमों में विश्वविद्यालय को नियत अवधि के भीतर क्रियाशील करने के लिए उपबन्ध अन्तर्विष्ट नहीं हैं। इसलिए, इस अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना अनिवार्य समझा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक विश्वविद्यालय, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर क्रियाशील हो जाए । इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करने के लिए, कि प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध दुरूपयोग न किया जाए, यह अनिवार्य समझा गया है कि इस प्रभाव के उपबन्धों को और अधिक कड़ा तथा सुस्पष्ट बनाया जाए। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय को अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर क्रियाशील किया जाए और अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन की दशा में, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रायोजक निकाय की परिसम्पत्तियों सहित, विश्वविद्यालय की समस्त परिसम्पत्तियां, समस्त विल्लंगमों से रहित, सरकार में निहित हो जाएं, बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए विधान को व्यापक रूप से सुस्पष्ट बनाने के लिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने आवश्यक हो गए हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला :
तारीखः.............................,2012

————————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 39 of 2012

THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) SECOND AMENDMENT BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

further to amend the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2099).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement.—**(1) This Act may be called the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Second Amendment Act, 2012.

(2) It shall be deemed to have come into force on 16th day of October, 2009.

2. **Amendment of section 3.—**In section 3 of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after clause (j), the following new clause (k) shall be inserted, namely:–

(k) to make the University functional within one year from the date of commencement of this Act.".

3. **Amendment of section 41.—**In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, after the words "assets of the University", the words "including assets of the sponsoring body pertaining to the university" shall be inserted.

4. **Amendment of section 42.—**In section 42 of the principal Act, in sub-section (9), for the words "assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body", the words "assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to ensure appropriate standard of admission, teaching, examination, research and for furtherance of higher education in the State, the State Government has established many private Universities in the State by enacting independent Private Universities Acts. These Acts however do not contain provisions for making the University functional within a stipulated period. Thus, it has been considered essential to make suitable provision in the Act to ensure that every University is made functional within a specific period. Further, in order to ensure that provisions of the Act relating to the dissolution of the University by the sponsoring body are not misused against interest of the students and employees of the University, it has been considered necessary to make the provisions to this effect more stringent and crystal clear. As such, it has been decided to make suitable amendments in the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2009), to ensure that University is made functional within a period of one year from the date of commencement of the Act and that in the event of dissolution of the University by the sponsoring body in contravention of the provisions of the Act all the assets of the University including assets of the sponsoring body pertaining to the University shall vest in the Government free from all encumbrances. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(ISHWAR DASS DHIMAN)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
The.....................2012.

FINANCIAL MEMORANDUM

–Nil–

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—